

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) जो राज्य सेवा में कार्यरत हैं को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विधालय का नाम राजमावि/राबारमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत्ति तिथि
1	कान्तिलाल जैन	धलकिया - बांसवाड़ा	इतिहास	13-10-1956	31-10-2016
2	गोकुलराम चौधरी	गिड़ा-बायतु-बाड़मेर	इतिहास	01-01-1957	31-12-2016
3	तुलसीराम	जाखेड़ा-डेगाना-नागौर	इतिहास	07-11-1956	30-11-2016
4	बाबूलाल विजय	रेल्वे स्टेशन, दौसा	वाणिज्य	01-01-1957	31-12-2016
5	हरीराम	बरड़वा-डीडवाना-नागौर	इतिहास	22-11-1956	30-11-2016
6	अनूप भाटी	अक्खासर-बीकानेर	इतिहास	26-12-1956	31-12-2016
7	जमशीद अहमद खान	तोपदड़ा-अजमेर	वाणिज्य	21-09-1956	30-09-2016
8	हुकमसिंह राठौड़	गिराब गडरा-बाड़मेर	इतिहास	13-01-1957	31-01-2017
9	अब्दुल मजीद खां	बीईईओ परबतसर-नागौर	इतिहास	25-10-1956	31-10-2016
10	हरिप्रसाद जैमन	नवीन, अलवर	वाणिज्य	09-07-1956	31-07-2016
11	गैदीलाल मीना	जीतावाला, बस्सी-जयपुर	इतिहास	03-12-1956	31-12-2016
12	जफर अहमद	करणीसर माटियान-बीकानेर	इतिहास	07-12-1956	31-07-2016

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी0एल0स्वर्णकार)

आईएसएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृत्ति/2016

दिनांक- 27/9/16

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्राक्धायी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा वेबसाइट पर अपलोड हेतु
- (8) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

प्रारूप-6

(नियम 78 के नीचे राजस्थान सरकार का विनिश्चय देखिए)

सेवानिवृति आदेश

निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) जो राज्य सेवा में कार्यरत है को अधिवार्षिक की आयु पूरी कर लेने पर (सेवानिवृति की तारीख) से, सरकारी सेवा से कॉलम संख्या-5 की दिनांक से सेवानिवृति किया जाता है।

क.सं	नाम व्याख्याता मय पदस्थापन स्थान सर्वश्री/सुश्री/श्रीमती	विधालय का नाम राजमावि/राबाउमावि)	व्याख्याता विषय	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृति तिथि
1	सुल्तानसिंह कस्वां	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चूरु	इतिहास	17-11-1956	30-11-2016
2	रामजीवन	बागौरिया - जोधपुर	इतिहास	04-02-1957	28-02-2017
3	प्रहलाद सिंह गहलोत	रोजवाड़ी-बस्सी-जयपुर	इतिहास	23-09-1956	30-09-2016

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित के विरुद्ध आज तक-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(बी०एल०स्वर्णकार)

आईएस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

कमांक - शिविरा-मा/संस्था/सी-2/31853/सेवानिवृति/2016

दिनांक:- 27/9/2016

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- (1) संयुक्त निदेशक पेंशन विभाग,
- (2) संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,
- (3) सम्बन्धित उपनिदेशक(माध्यमिक) शिक्षा विभाग
- (4) सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)
- (5) सम्बन्धित प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याताओं से कोई न्यायिक प्रकरण विचाराधीन नहीं है का दस रुपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रपत्र -6 प्राप्त कर अंतिम अद्वैत प्रमाण पत्र जारी करें।
- (6) संबंधित प्राध्यापक।
- (7) सिस्टम एनालिस्ट कम्प्युटर अनुभाग कार्यालय हाजा वेबसाईट पर अपलोड हेतु
- (8) रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)